तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2004 / 1217 / भीलवाड़ा</u>** **ईश्वरलाल बनाम मोहन आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकलपीठ</u>
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

<u>उपस्थित :–</u>
श्री ओंकारलाल दवे, अभिभाषक प्रार्थी
श्री एस. पी. ओझा, अभिभाषक अप्रार्थी

<u>दिनांक : 13 दिसम्बर, 2019</u>

<u>निर्णय</u>

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विद्वान जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 10–2–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण के आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि गांव उदलियास खसरा नम्बर–169 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा पर ईश्वर पुत्र मांगीलाल ने नाजायज कब्जा कर रखा है जबकि उनका इस आराजी पर कोई लेना देना नहीं है इसलिये अप्रार्थी ईश्वर को बेदखल कर उसे कब्जा दिलाया जावे। इस पर तहसीलदार, कोटड़ी ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को तलब किया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण के दादा द्वारा दिनांक 22–4–1954 को 400/–रूपये कीमत पर उक्त आराजी को प्रतिवादी/निगराकार के पिता को विक्रय कर दिया गया था, इस प्रकार 45–50 वर्षो से प्रतिवादी/निगराकार काबिज है। इस पर तहसीलदार, कोटड़ी ने प्रकरण की जांच एवं मौके की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2004 / 1217 / भीलवाड़ा</u>** **ईश्वरलाल बनाम मोहन आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रिपोर्ट मंगवाई। जांच रिपोर्ट में प्रार्थीगण का कब्जा 45–50 वर्षो से मानते हुये बेदखली एवं आराजी खसरा नम्बर–169 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा के वार्षिक लगान की 50 गुना 14525/–रूपये शास्ति कायम करते हुये दिनांक 23–9–2003 को बेदखली का आदेश पारित किया। जिससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने प्रथम अपील विद्वान जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत की, जिन्होंने दिनांक 10–2–2004 को प्रार्थी/निगराकार की अपील को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 10–2–2004 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– बहस उभयपक्ष सुनी गई। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कथन है कि दस्तावेज के आधार पर जब प्रार्थी का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से ही चल रहा हो तो उसे इस एक्ट की धाराओं के अन्तर्गत बेदखल नहीं किया जा सकता है। उनका यह भी कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने क्षेत्राधिकार नहीं होते हुये और प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होते हुये भी उसे खारिज नहीं कर जो शास्ति लगाई गई है, वह प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2004 / 1217 / भीलवाड़ा</u>** **ईश्वरलाल बनाम मोहन आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि विद्वान जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा का निगरानीधीन निर्णय दिनांक 10–2–2004 विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत है। तहसीलदार, कोटड़ी ने भी अपने निर्णय दिनांक 23–9–2003 द्वारा निगरानीकर्ता को बेदखल करने का आदेश पारित किया था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने के कारण निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। जो बेचाननामा पत्रावली में उपलब्ध है वह **''शून्य प्रभावी व व्यर्थ''** है क्योंकि उसमें किसी खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं है और वह पंजीकृत भी नहीं है अतः ऐसे बेचाननामे का कानून की नजर में कोई महत्व नही है। निगरानी में ऐसे कोई ठोस व सारगर्भित तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे निगरानीधीन निर्णय में कोई परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो। अतः निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। 6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। 7– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2058–61 के अनुसार अप्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं और वे अनुसूचित जाति के सदस्य हैं जबकि निगरानीकर्ता	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2004 / 1217 / भीलवाड़ा</u>** **ईश्वरलाल बनाम मोहन आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गैर अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। निगरानीकार का विवादित भूमि पर कब्जा पटवारी की रिपोर्ट से साबित है। बयनामा की जो प्रति पत्रावली में संलग्न है वह अपंजीकृत है और उसमें खसरा नम्बर का भी उल्लेख नहीं है। निगरानीकार का यह कथन कि उक्त दस्तावेज दिनांक 22–4–1954 का है और तब तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू नहीं हुआ था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में धारा–42(बी) का प्रावधान भी वर्ष 1964 में लागू किया गया था। उक्त बेचाननामा उससे 10 वर्ष पुराना है। अतः धारा–42(बी) के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते, सही नहीं है क्योंकि उक्त बयनामा अपंजीकृत दस्तावेज है और भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अनुसार सौ रूपये से अधिक मूल्य के दस्तावेज पंजीकृत होने चाहिये। चूंकि यह बेचाननामा 400/–रूपये की मालियत का है जिसे आवश्यक रूप से पंजीकृत होना चाहिये था और इसमें खसरा नम्बर भी अंकित नहीं है अतः यह एक वैध दस्तावेज नहीं है और यह **''प्रारम्भतः शून्य व निष्प्रभावी''** दस्तावेज है जिसके आधार पर निगरानीकर्ता का कब्जा वैध नहीं माना जा सकता है।

8– उपर्युक्त विवेचन के अनुसार निगरानीकर्ता का विवादित भूमि पर कब्जा अवैध है एवं निगरानीकर्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–5(44) के अनुसार अतिक्रमी है जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–183(बी) के तहत हटाया जाना आवश्यक है। तहसीलदार, कोटड़ी ने उसे बेदखल करने का आदेश पारित कर विधिसम्मत निर्णय किया है जिसे जिला कलेक्टर ने अपने आदेश से पुष्ट किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2004 / 1217 / भीलवाड़ा</u>** **ईश्वरलाल बनाम मोहन आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निष्कर्ष समवर्ती होने के कारण उनमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। 9– फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (**हरि शंकर गोयल**) **सदस्य**	